न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली संख्याः 55/2022/प्रा0पत्रअ0धारा 212आरटीएक्ट 1955 जी0सी0एम0एस नं0 145/2022
प्रा0पत्र दायरी दिनांक :26.7.2022

निशा अग्रवाल पुत्री जगदीश चौधरी पत्नी राकेश अग्रवाल जाति महाजन निवासिनी ढाणी खींचड़ान तन मियां की ढाणी तहसील,दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद कृष्ण नगर, करतारपुरा, लाल कोठी, गांधी नगर,जयपुर।

——प्रार्थीया

बनाम

1– जगदीश प्रसाद पुत्र मांगू जाति जाट निवासी ढाणी खींचड़ान तन मियां की ढाणी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2– उप पंजीयक, दांतारामगढ़।
3– तहसीलदार, दांतारामगढ़।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः
1–श्री अतुल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से।

निर्णय दिनांकः 30.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पेश हुई। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मियां की ढाणी पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 514 रकबा 3.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.40 हैक्टर अवस्थित रही हैं। जिसमें प्रार्थीया के दादा मांगू का 1/2 हक हिस्सा रहा हैं। इसके अलावा अन्य भूमियां भी रही हैं। उपरोक्त भूमियों का खातेदारों के मध्य हुए बंटवारे के पश्चात प्रार्थीया के पिता के हक हिस्से में भूमियां खसरा नम्बर 515 रकबा 0.78 हैक्टर व खसरा नम्बर 600/514 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 हैक्टर वाके ग्राम मियां की ढाणी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि भूमिया हैं। भूमि खसरा नम्बर 515 व 600/514 प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 की स्वर्जित भूमिया नही होकर पैत्रिक कृषि भूमिया हैं जो अप्रार्थी को विरासतन व बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमिया हैं। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री हैं जो उपरोक्त वर्णित भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से अपने 1/2 हिस्से पर काबिज चली आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक भूमियां होने की वजह से प्रार्थीया का भी अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन काल में ही उसी के समान हक अधिकार जन्मजात रूप से संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्राप्त हो गये हैं। भले ही खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले के नाम क्यों न अंकित रही हो। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 धर्म से हिन्दू होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्री को भी पिता के जीवन काल में ही

सहायक कलेक्टर(मु.)

...के भूमियों में उसी के समान हक अधिकार होगा, इसलिए प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन काल ही जन्मजात रूप से वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 के समान ही हक अधिकार प्राप्त हो गये है। इसलिए प्रार्थीया को वादग्रस्त भूमियों में 1/2 हक हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमियों को भूमाफिया गिरोह के लोगों को विक्रय करने की कुचेष्टाओं में हैं जिनका उन्हे कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही हैं। इस प्रकार प्रार्थीया के वैध अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी रूप में किया जाना संभव नही हो पायेगा। प्रार्थीया का प्रबल प्राईमाफेसाई केस हैं तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं। इसलिए न्यायहित में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे विवादित भूमियों की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 पर बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई।

प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि खातेदारों के मध्य हुए बंटवारे के पश्चात प्रार्थीया के पिता के हक हिस्से में भूमियां खसरा नम्बर 515 रकबा 0.78 हैक्टर व खसरा नम्बर 600/514 रकबा 0.51 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 हैक्टर वाके ग्राम मियां की ढाणी तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि भूमिया हैं। भूमि खसरा नम्बर 515 व 600/514 प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 की स्वर्जित भूमिया नही होकर पैत्रिक कृषि भूमिया हैं जो अप्रार्थी को विरासतन व बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमिया हैं। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री हैं जो उपरोक्त वर्णित भूमियों पर अप्रार्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से अपने 1/2 हिस्से पर काबिज चली आ रही है हैं। संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्री को भी पिता के जीवन काल में ही पैत्रिक भूमियों में उसी के समान हक अधिकार होगा इसलिए प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन काल में ही जन्मजात रूप से वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 के समान ही हक अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रार्थीया का प्रबल प्राईमाफेसाई केस हैं तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं। इसलिए न्यायहित में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे विवादित भूमियों की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम मियां की ढाणी पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबंदी सम्वंत 2076–2079 के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि खसरा नम्बर 515 व 600/514 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 हैक्टर जगदीश प्रसाद पुत्र मांगू हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 ढाणी खींचड़ान तन देह खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थीया खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश प्रसाद की पुत्री हैं। विवादित आराजी पैत्रिक भूमियां हैं। संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्री को भी पिता के जीवन काल में ही पैत्रिक भूमियों में उसी के समान हक अधिकार हैं। प्रार्थीया द्वारा मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के अन्तर्गत पेश किया गया हैं। जिसका निस्तारण प्रकरण में तनकीयात कायम होने के पश्चात साक्ष्य से गुणावगुण के आधार पर होगा। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हैं कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनता हैं एवं ये दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में होने से अपूर्णीय क्षति भी

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

प्रार्थीया को होगी। यदि विवादित भूमियों का किसी भी तरीके से स्थानान्तरण होता हैं तो पक्षकारान में वाद बहुलता बढ़ने की पूरी–पूरी संभावना हैं इसलिये अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता हैं।

अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक वाके ग्राम मियां की ढाणी पटवार हल्का, किशनपुरा तहसील,दांतारामगढ़ जिला सीकर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 515 रकबा 0.7800 हैक्टर, खसरा नम्बर 600/514 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुणाल राहड़)

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर